फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 122/2022 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

केतन वगै.बनाम केसरसिंह वगै.

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
21/3/24	पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित है । अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई ।अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि सभी विपक्षीगण की तामीले पर्याप्त होने की रिपोर्ट नोटिस पर है अतः सभी विपक्षीगणो की तामीले मानी जावे ।पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से सिद्व है कि सभी की तामीले होने की रिपोर्ट का अंकन है जबकि फर्द अहकाम पर विपक्षी संख्या 1/1, 1/1घ, 1/2, 1/2क, 1/2क2 के नोटिस पुनः पेश करने का अंकन है । अतः सभी विपक्षीगणो की तामीले मानी जाती है ।न्यायालय समय मे बार–बार आवाजे लगवाई गई परन्तु विपक्षी संख्या 1 के वारिसान व विपक्षी संख्या 5 उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है । अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थीगण केतन पिता बाबुलाल मादरेचा (जैन)निवासी चारभुजा व हरदेव पिता भगवानलाल गुर्जर निवासी चारभुजा तहसील गढबोर की ग्राम बामणिया तहसील गढबोर स्थित खातेदारी भूमि आराजी नंबर 1274/1230 रकबा 0.4321 हैक्टेयर किस्म पडत–2 मे आने–जाने हेतु ग्राम बोरड की बिलानाम व खातेदारी भूमि से रास्ता दिलाया जावे ,नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार गढबोर की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि मे आने–जाने हेतु ग्राम बोरड की आराजी नंबर 857 रकबा 0.0918 हैक्टेयर बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म–मगरी मे से रकबा 0.0528 हैक्टेयर व ग्राम बोरड की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 833 रकबा 0.0864 हैक्टेयर किस्म बीड–II जो केसरसिंह पिता मोतीसिंह खरवड 1/2 ,गोपालसिंह पिता धनसिंह खरवड 1/2 ,देवा पुत्र खुमाण खरवड 1/4 ,पहाडसिंह पिता धनसिंह खरवड 1/12 ,फेफाबाई पुत्री धनसिंह खरवड 1/12 सा. मावेलो का गुडा कें नाम पर दर्ज है मे से रकबा 0.0036 हैक्टेयर भूमि से रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है । रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को दिये जाने की अनुशंषा की है । अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावति रास्ता बिलानाम व खातेदारी भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार गढबोर के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल. सी.दर 2240110/–रूपये प्रति हैक्टेयर से बिलानाम आराजी नंबर 857 रकबा 0.0918 हैक्टेयर [illegible] खातेदारी मे से रकबा 0.0528 हैक्टेयर भूमि की कीमत 1[illegible] की दुगुनी कीमत 236556/–रूपये संबंधि[illegible] खातेदारी भूमि आराजी नंबर 833 मे [illegible] रकबा 0.0036 हैक्[illegible] भूमि की कीमत 8065 /– की दुगुनी की[illegible] खातेदार को अदा करने पर व खाते[illegible] पर संबंधित मद मे जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म [illegible]स्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है ।रास्ते की अधिकतम चौडाई 6 मीटर है। जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा । तदनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर ट्रेस की प्रति के तहसीलदार गढबोर को पालना हेतु भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।	उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़, जिला–राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.08.08 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुम्भलगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)